तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1612/2005/दौसा** **रामचंद्र बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री उमेश कुमार गौड़, अभिभाषक प्रार्थीगण।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 18–1–2024

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2000 में पारित आदेश दिनांक 3–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया है।

3– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामचंद्र द्वारा एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आग्रह किया गया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16–5–2000 द्वारा दिनांक 9–1–1996 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा स्थाई करने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा एक अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय आदेश दिनांक 3–3–2005 द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में विवेचित धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को अपने आलौच्य निर्णय में यह विवेचन कर अमान्य कर दिया कि उसके संबंध में बाद में निर्णय किया जावेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन कर विपक्षीगण संख्या 9 व 10 के नाम विपक्षी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1612/2005/दौसा** **रामचंद्र बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 11 द्वारा किये गये खातेदारी अंकन प्रारंभतः विधि विरूद्ध एवं प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थी संख्या 9 व 10 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम किया गया विक्रय स्वतः ही अवैध एवं अप्रभावी है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के आधिपत्य को संरक्षण प्रदान करने व भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया था, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–3–2005 निरस्त किया जावे। 5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मानपुरा तहसील लालसोट में स्थित वादग्रस्त आराजी के खातेदार अनुसूचित जनजाति के सदस्य थी। इस पर स्वर्ण की खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अवैध अंकित हिस्सा का विभाजन करवाकर खसरा नंबर 7/1 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा की गलत डिक्री पारित कर अप्रार्थी संख्या 11 ने गलत नामान्तरकरण भर दिया । इस कारण अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । सहायक कलेक्टर लालसोट ने अपने निर्णय दिनांक 16–5–2000 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने धारा 212 के तीनो तत्वों को प्रार्थीगण के विरूद्ध पाते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2022 में विवादित भूमि पर बध्या वल्द जीवन हि01/2 व काना,रामपाल व लोहड़िया पि0 कालू कौम मीना सा0 हि1/2 सा देह दर्ज है । भूमि एकीकरण के दौरान भी विवादित भूमि पर बध्या वल्द जीवन हि01/2 व काना,रामपाल व लोहड़िया पि0 कालू कौम मीना सा0 हि0 1/2 सा0 देह दर्ज है एवं सहायक कलेक्टर की तकासमा की डिक्री दिनांक 25–5–1993 के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज हुआ । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के जबाव में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 द्वारा यह कथन किया कि वादग्रसत भूमि अप्रार्थी द्वारा जरिए पंजीकृत बयनामा अभिलिखित खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1612/2005/दौसा** **रामचंद्र बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया एवं नामान्तरकरण दर्ज होकर वह खातेदार दर्ज हुए। इसलिए रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लेकिन यहां स्थिति यह है कि विवादित आराजी पूर्व में दो खातेदारों के 1/2–1/2 हिस्से की भूमि थी , जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे, इसके पश्चात यह भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 9 व 10 के खाते में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दर्ज होना कथित किया गया है । अधिनियम की धारा 42(ब) में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 9 व 10 के नाम के इन्द्राजात प्रारंभ से ही शून्य है । हमारी राय में विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट/वादी किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है तथा उसे ऐसा दावा या प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का क्या विधिक अधिकार था । इस प्रकार विचारण न्यायालय मौन रहा तथा धारा 212 के आवश्यक तत्वों पर विचार नहीं किया गया जो कि स्पष्ट रूप से त्रुटि थी तथा गलत रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का कब्जा नहीं मानकर उसके पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया है एवं धारा 212 के तीनों तत्व प्रार्थी के विरूद्ध पाते हुए अप्रार्थी की अपील स्वीकार की है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती जिससे कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके । इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है–

230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब निचले न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1612/2005/दौसा** **रामचंद्र बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनरीक्षण होता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति पक्षकार का अधिकार नहीं है। यह न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है। पुनरीक्षण की शक्ति सदा विवेकाधीन होती है। इसमें केवल यही देखना होता है कि निचले न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है जिससे कि निगरानी के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । 8— उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1612/2005/दौसा** **रामचंद्र बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए